UPKU040282962026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान पडरौना।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–3508/2026

सरकार बनाम सन्नी शर्मा व अन्य।

आदेश

दिनांक 13.08.2026

1– अभियुक्तगण सन्नी शर्मा, अखिलेश, विन्दाश उर्फ गोलू व प्रिंस की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना– पत्र, मु०अप०सं०–12/2026 अन्तर्गत धारा– 191(2),115(2),351(3),352 बी०एन०एस० थाना–नेबुआ नौरंगिया, जिला–कुशीनगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है।

2– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीगण का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है, निर्दोष है, फर्जी फंसाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तर्कों के प्रकाश में जमानत देने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

3– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण का विचारण होना है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा रू० **20,000/–** की **एक–एक** जमानती तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन हेतु अण्डटेंकिग पेश करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

1.प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस केस में नियत प्रत्येक तारीख पर उपस्थित रहेंगे।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस केस के गवाहों को किसी किस्म की कोई धमकी नहीं देगा और परेशान नहीं करेगा, और किसी भी तरीके से अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ नहीं करेंगे।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण स्वयं के पता एवं उसके जमानतियों के पते में परिवर्तन होने पर तुरन्त स्वयं व जमानतियों के परिवर्तित पतों की सूचना विवरण न्यायालय में करेंगे।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस केस में यदि किसी नियत तिथि पर गवाह उपस्थित है, और तारीख अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है, तो किसी किस्म का कोई स्थगन नहीं देंगे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त के उल्लंघन करने की दशा में अभियुक्त को प्रदान करने की गयी यह जमानत निरस्त की जा सकती है।

(राहुल जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।